



UPSI040559102022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, सीतापुर।

सी आई एस नम्बर-7159 / 2022

उ० प्र० राज्य बनाम राजेश

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

दिनांक-22-11-2022

अभियुक्त राजेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-251 / 2020, धारा-60 आबकारी अधिनियम, थाना-इमलिया सुल्तानपुर, जिला-सीतापुर के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्त आज दिनांक-22-11-2022 को जरिए अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित आकर आत्म समर्पण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया तथा उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा अपराध जमानतीय बताया गया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की जमानतीय प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त राजेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-251 / 2020, धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से रुपये 20,000 का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

(अभिनव श्रीवास्तव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
सीतापुर।

(J.O. Code: UP-2489)

राम रहीस